



हिंदी-विभाग

UNIVERSITY OF DELHI

दिल्ली विश्वविद्यालय

क्रमांक : हिंदी/2016-2017/3587

दिनांक : 23 अगस्त, 2016

प्राचार्या/प्राचार्य
समस्त महाविद्यालय
हिंदी-विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

महोदया/महोदय,

जैसी कि आपको जानकारी होगी कि स्नातक स्तर के उन सभी भारतीय विद्यार्थियों को जिन्होंने 8वीं कक्षा तक हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, 'अनिवार्य हिंदी परीक्षा Compulsory Test in Hindi' उत्तीर्ण किए बिना स्नातक स्तर की उपाधि नहीं दी जाती।

19 जुलाई, 2016 की विद्वत् परिषद् (Academic Council) में सीबीसीएस पद्धति के अंतर्गत अनिवार्य हिंदी परीक्षा (C.T.H.) पाठ्यक्रम पारित हुआ है। इसे दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड (Useful Links → Study at DU → Courses/Syllabi) कर दिया गया है।

आपसे अनुरोध है कि आपके महाविद्यालय में पढ़ रहे ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाकर इस पाठ्यक्रम का अध्यापन शीघ्र ही शुरू करवाने का कष्ट करें।

सधन्यवाद।

भवदीय

(प्रौ. हरिमोहन शर्मा)
अध्यक्ष, हिंदी-विभाग

① Diary No 1178
Date 31/07/16
Imp. Urgent.
Original

② Sonogram for Urgent n-9
Dr. M.S. Vas - BA (Eng.), Convener.

③ Copy
PC
for recitation
SNT
Upload plz 27/08/16

5. CBCS पाठ्यक्रम में Ability Enhancement Compulsory Course के रूप में अंग्रेजी/आधुनिक भारतीय भाषा (संप्रेषण) MIL Comm. का प्रश्नपत्र किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है। वाणिज्य विभाग ने बी.कॉम. ऑनर्स के पाठ्यक्रम में इस प्रश्नपत्र का नामकरण Business Comm. (Language-English/ Hindi/ MIL) कर दिया है। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त ढाँचे के अनुरूप नहीं है। अतः बी.कॉम. ऑनर्स में English/Hindi/MIL Comm. ही पढ़ना होगा।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा CBCS पाठ्यक्रम के निर्देशों के अनुसार जेनरिक ऐच्छिक प्रश्नपत्रों की प्रकृति अन्तरानुशासनिक है। इसलिए सभी ऑनर्स पाठ्यक्रमों के विद्यार्थी अपने विभाग द्वारा तैयार किए गए जेनरिक पाठ्यक्रमों की बजाय अन्य विषयों के जेनरिक पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। CBCS पाठ्यक्रम के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी विभाग द्वारा तैयार किए गए जेनरिक ऐच्छिक प्रश्नपत्रों के अतिरिक्त सभी 14 कोर प्रश्नपत्रों को भी जेनरिक ऐच्छिक/प्रश्नपत्र के रूप में ले सकेंगे।



(प्रो॰ राजेन्द्र गौतम)

संयोजक, सीबीसीएस पाठ्यक्रम समिति



(प्रो॰ हमेंट कुमार शर्मा)

अध्यक्षीय हिन्दी विभाग
विश्वविद्यालय/University of Delhi
दिल्ली-110007/Delhi-110007

हिंदी विभाग
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली-110007

आवश्यक सूचना

दिनांक : 3 अगस्त, 2015

विश्वविद्यालय द्वारा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) के तहत वर्तमान सत्र (2015-2016) से लागू किए गए नए पाठ्यक्रम के संबंध में उत्पन्न समस्याओं, अस्पष्टताओं अथवा कॉलेज के अध्यापकों की उलझनों के स्पष्टीकरण/समाधान के लिए हिंदी विभाग के अध्यक्ष, पाठ्यक्रम-संयोजक एवं अध्यापकों के साथ सभी कॉलेजों के प्रभारियों की एक बैठक दिनांक 28.07.2015 को कक्ष संख्या 15 में अपराह्न 2.00 बजे हुई। इस संदर्भ में कथनीय है :

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के जारी किए गए ढाँचे के अनुरूप और कॉलेजों की व्यावहारिक समस्याओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि बी.ए. तथा बी.कॉम. प्रोग्राम में निर्धारित आधुनिक भारतीय भाषा अनिवार्य प्रश्नपत्र है। यह प्रश्नपत्र 2.2 प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर में पढ़ाया जा सकेगा। इसी प्रकार प्रश्नपत्र 4.2 तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जा सकेगा। इसकी व्यवस्था कॉलेज अपनी आवश्यकतानुसार कर लेंगे।
2. पाठ्यक्रम की अपलोडेड प्रति में मुद्रण की त्रुटियों को दूर करते हुए निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं :
 - (क) बी.ए./बी.कॉम. प्रोग्राम के आधुनिक भारतीय भाषा हिंदी के 'क' पाठ्यक्रम में बी.कॉम. शब्द शीर्षक में छूट गया है। बी.ए. हिंदी को बी.ए./बी.कॉम. हिंदी कर लिया जाए।
 - (ख) इस पाठ्यक्रम के 'क', 'ख' और 'ग' स्तर के दो-दो प्रश्न पत्र हैं। उनके साथ I और II लिखा जाना छूट गया है। उन्हें इस रूप में पढ़ा जाए :
 - आधुनिक भारतीय भाषा - हिंदी : भाषा और साहित्य क, ख, ग - I
 - आधुनिक भारतीय भाषा - हिंदी गुद्ध : उद्भव और विकास क, ख, ग - II
3. कई अध्यापकों ने बी.ए. ऑनर्स हिंदी के प्रश्नपत्र 1.2 में निर्धारित विद्यापति के पाठ की अनुपलब्धता की समस्या उठायी है। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यह पाठ श्री रामलोचन शरण द्वारा संपादित और श्री रामबृक्ष बेनीपुरी द्वारा संकलित पुस्तक से लिया गया है। बैठक में प्रश्नपत्र 1.2 में निर्धारित मंजून के पद सं. 94 (अति सरूप) के स्थान पर दंत वर्णन (पद सं. 88) पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।
4. कई कॉलेजों के अध्यापकों ने सूचित किया है कि कुछ कॉलेजों के वाणिज्य विभागों ने यह भ्रामक सूचना दी है कि आधुनिक भारतीय भाषा (अनिवार्य) का प्रश्नपत्र 2.2 तथा प्रश्नपत्र 4.2 बी.कॉम. प्रोग्राम के विद्यार्थियों को नहीं पढ़ने हैं। विभाग द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के जारी किए गए ढाँचे और दिल्ली विश्वविद्यालय की एकेडेमिक कौसिल में सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है।